

2



अंचल अधिकारी का कार्यालय, सोनुआ।

प० सिंहरूम, चाईबासा 833105
(Email ID - csonuwa56@gmail.com)

अंचल - सोनुआ

कैम का प्रकार - रजिस्टर - 2 अंशदान।

अभिलेख सं० - 11 / 2023-24

आदेश की प्रकृति और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	प्रदेश पर की गई कारवाई नंबर व तिथि सही रखें
1	2	3
	श्री/श्रीमती <u>खैरा मोहन शर्मा</u> पिता/पति <u>कृष्ण कर शर्मा</u> ग्राम- <u>पौवाट</u> पौ- <u>सोनुआ</u> थाना- <u>सोनुआ</u>, जिला- <u>प० सिंहरूम</u> के द्वारा निम्नलिखित भूमि का जमाबंदी रजिस्टर-2 में दर्ज हेतु किया गया है। संबंधित राजस्व उप-निरीक्षक से जोर प्रतिवेदन प्राप्त करें तथा अभिलेख, दिनांक <u>7/6/23</u> को उपस्थापित करें। मोजा <u>पौवाट</u> खाना नं० <u>167</u> खाता नं० <u>115</u> प्लॉट नं० <u>2118</u> रकबा <u>0.68</u> बी लेखापत्र <u>पौवाट</u> अंचल अधिकारी <u>सोनुआ</u> अंचल अधिकारी <u>सोनुआ</u> अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप-निरीक्षक ने प्रतिवेदन किया है कि आवेदित भूमि मोजा <u>पौवाट</u>, खाता नं० <u>115</u>, प्लॉट नं० <u>2118</u>, रकबा <u>0.68</u>, लगान <u>7</u> नाम <u>खैरा मोहन शर्मा</u>, पिता/पति <u>कृष्ण कर शर्मा</u>, निवासी <u>पौवाट</u> ने विक्री केवाला सं० <u>7/6/23</u> दिनांक <u>7/6/23</u> से क्रय किया गया है तथा अंचल कार्यालय से नामांतरण मुकदमा सं० <u>7/6/23</u> से नामांतरण स्वीकृत है। आवेदक ने इसके समर्थन में विक्री केवाला/शुद्धि पत्र की प्रति ऑनलाइन रसीद इत्यादि समर्पित किया है। आवेदक के पिता/माता के नाम से पुराना प्रजी-2 के पृष्ठ संख्या <u>7/6/23</u> में जमाबंदी कायम है तथा नियमित रूप से लगान कट रहा है। अतः राजस्व उप-निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि का ऑनलाइन जमाबंदी कायम हेतु स्वीकृति दी जाती है। संबंधित राजस्व उप-निरीक्षक/ऑपरेटर से ऑनलाइन दर्ज करते हुए आवश्यक संशोधन करें। लेखापत्र <u>पौवाट</u> अंचल अधिकारी <u>सोनुआ</u> अंचल अधिकारी <u>सोनुआ</u> अभिलेख उपस्थापित। उक्त भूमि का जमाबंदी मोजा- <u>पौवाट</u>, भाग सं० <u>7</u>, पृष्ठ सं० <u>69</u> में दर्ज किया गया। अतः अभिलेख की कारवाई समाप्त की जाती है। लेखापत्र <u>पौवाट</u> अंचल अधिकारी <u>सोनुआ</u> अंचल अधिकारी <u>सोनुआ</u>	